मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक /11/2016

क्रमांक /4468/2016/सत्रह/मेडि–1 :: डॉ. बी.पी. खरे, चिकित्सा अधिकारी जिला विदिशा द्वारा दिनांक 01.09.2011 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में याचिका क्रमांक 167/2015 दायर की गई।

2/ उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.05.2016 के पालन में डॉ. बी.पी. खरे, चिकित्सा अधिकारी को दिनांक **01.09.2011** से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
- 5 DEC 2015
6121
आवक क्रमांक

(उपेन्द्र नाथ शर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक 4000/4468/2016/सत्रह/मेडि–1 भोपाल, दिनांक 30/11/2016

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।

....

3. रजिस्ट्रार/महाधिवक्ता मान0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर, म0प्र0।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
7. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।
8. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।
9. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, म.प्र.।
10. संबंधित चिकित्सक..।
11. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Public Health & Family Welfare

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

आव.संख्या (प्रशा.), जा.क्र. 8113
दिनांक 01/12/16

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक   / 11 / 2016

क्रमांक   / 4232 / 2016 / सत्रह / मेडि–1 :: डॉ. शिवप्रताप सिंह रघुवंशी, अस्थि रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय शिवपुरी द्वारा दिनांक 06.01.2015 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में याचिका क्रमांक 6828 / 2015 दायर की गई।

2/ उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.09.2016 के पालन में डॉ. शिवप्रताप सिंह रघुवंशी को दिनांक **06.01.2015** से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

29 NOV 2016
6106

(उपेन्द्र नाथ शर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक 3987/ 4232 / 2016 / सत्रह / मेडि–1, भोपाल, दिनांक 29 / 11 / 2016

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी / राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव / सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।

....

3. रजिस्ट्रार / महाधिवक्ता मान0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर, म0प्र0।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
7. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र. ।
8. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र. ।
9. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, म.प्र. ।
10. संबंधित चिकित्सक...।
11. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ / पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

01.12.16

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

अप.संचा. (प्रशा.), जा.क्र. 8118
दिनांक 01/12/16

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक / 11 / 2016

क्रमांक / 3802 / 2016 / सत्रह / मेडि–1 :: डॉ. सुनीता जैन, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, सामु0स्वा0के0 पिछोर जिला शिवपुरी द्वारा दिनांक 22.05.2013 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में याचिका क्रमांक 4484 / 2014 दायर की गई।

2/ डॉ. सुनीता जैन द्वारा प्रस्तुत आवेदन में उल्लेख किया कि–उनके द्वारा दिनांक 30.06.2013 तक शासकीय कार्य किया गया है। उनके द्वारा दिनांक 01.07.2013 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्वीकार की जाये।

3/ डॉ. सुनीता जैन के अभ्यावेदन अनुसार तथा याचिका क्रमांक 4484 / 2014 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.2016 एवं अवमानना प्र0क0 1357 / 2016 के पालन में डॉ. सुनीता जैन को दिनांक **दिनांक 01.07.2013** से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

(उपेन्द्र नाथ शर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 29 / 11 / 2016

पृ0 क्रमांक 8912 / 3802 / 2016 / सत्रह / मेडि–1,

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी / राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव / सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. रजिस्ट्रार / महाधिवक्ता मान0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर, म0प्र0।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
7. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र. ।
8. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र. ।
9. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, म.प्र. ।
10. संबंधित चिकित्सक..।
11. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ / पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

OS/DD (T)
MIS
01.12.16

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
ADHS
29 NOV 2016
आवक क्रमांक 6104
29/11/16

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-डी.पी.सी/2016/ भोपाल,दिनांक /11/2016

:: आदेश ::

श्री एन.पी.शर्मा, एन.एम.ए, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सांवेर, जिला इन्दौर को म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 42 के उप नियम (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर दिनांक 01.09.2016 से इस शर्त के साथ स्वेच्छिक सेवा निवृत्त किया जाता है कि यदि उनसे कोई शासकीय धनराशि की वसूली शेष हो तो वह उन्हे देय उपादान की राशि से समायोजित की जावेगी।

म.प्र.सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 10 (1) के अनुसार स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति की तिथि से 02 वर्ष तक बिना शासन पूर्वानुमति के कोई व्यावसायिक रोजगार करने की पात्रता नहीं होगी। यदि शासन की पूर्वानुमति के बिना कोई स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति की तिथि से 02 वर्ष की समाप्ति के पूर्व कोई व्यावसायिक रोजगार ग्रहण किया जाता है तो संबंधित की पूर्ण पेंशन के अंश को रोका जा सकता है।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्र. /2/अवि./सेल-डी.पी.सी/2016/1056-U भोपाल,दिनांक 10/11/2016

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश।
2. संचालक स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
3. संयुक्त संचालक कुष्ठ, स्थानीय कार्यालय।
4. प्रभारी, एम.आई.एस, स्थानीय कार्यालय।
5. क्षेत्रीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग इन्दौर, मध्यप्रदेश।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश।
7. जिला कोषालय अधिकारी जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश।
8. जिला कुष्ठ अधिकारी इन्दौर, मध्यप्रदेश
9. श्री एन.पी.शर्मा, एन.एम.ए., पता-आई-24, एल.आय.जी.कॉलोनी,सांईनाथ मंदिर के सामने, इन्दौर की ओर पालनार्थ।

10/11/16

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
25 OCT 2016
आवक क्रमांक 5797

अप.संचा. (प्रशा.), जा.क्र. 7334
दिनांक 26/10/16

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक   /10/2016

क्रमांक/   /804/2015/सत्रह/मेडि–1 :: डॉ. सुमत प्रकाश जैन, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय विदिशा म.प्र. द्वारा स्वास्थ्य कारणों से शासकीय सेवा करने में असमर्थ रहने के कारण दिनांक 18.05.2012 से त्यागपत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन–पत्र के आधार पर डॉ. जैन की अनाधिकृत अनुपस्थिति को **डाइजनॉन** करते हुये त्यागपत्र स्वीकृत किये जाने का प्रशासकीय निर्णय लिया जाकर विभागीय आदेश कमांक/734/804/2015/17/मेडि–1 दिनांक **27.03.2015** द्वारा डॉ. सुमत प्रकाश जैन का शासकीय सेवा से त्याग–पत्र स्वीकृत किया गया था।

2/ डॉ. जैन द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर उक्त आदेश को **"रिवोक"** करने का अनुरोध किया गया। तद्उपरांत डॉ. जैन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ जबलपुर में याचिका कमांक 9693/2016 दायर की गई, जिसमें मान0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.06.2016 के पालन में डॉ. जैन को दिनांक 31.8.2016 को समक्ष में सुना गया।

3/ डॉ. जैन द्वारा समक्ष में सुनवाई के दौरान शासन आदेश दिनांक 27.03.2015 पुंनः परिवर्तित करने संबंधी कोई ठोस वैद्यानिक आधार नहीं दिया गया। अतः विचारोपरांत डॉ. सुमत प्रकाश जैन, चिकित्सा अधिकारी की अपील अस्वीकार की जाती है।

(सूरज डामोर)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 कमांक /3535/4589/2015/सत्रह/मेडि–1, **भोपाल, दिनांक 24 /10/2016**

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. रजिस्ट्रार/महाधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जबलपुर म0प्र0।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि विभागीय बेवसाईट पर उक्त आदेश अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

//2//

Surjeet/Regi

6. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग म.प्र.।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला विदिशा म.प्र. ।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला विदिशा म.प्र. ।
9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला विदिशा म.प्र. ।
10. डॉ. सुमंत प्रकाश जैन, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय विदिशा म.प्र.।
11. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

2016

सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Surjeet/Regi

अप.संचा. (प्रशा.), जा.क्र. 7332
दिनांक 26/10/16

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक /10/2016

क्रमांक/ /3399/2016/सत्रह/मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. राजीव जैन, चिकित्सा अधिकारी, कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल द्वारा पारिवारिक कारण से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचारोपरांत डॉ. राजीव जैन को दिनांक 05.10.2015 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

25 OCT 2016
5799

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(गिरीश कुमार नेगी)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 कमांक/3552 /3399/2016/सत्रह/मेडि–1 भोपाल, दिनांक 24/10/2016

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
6. अधीक्षक, कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल, म.प्र.।
7. जिला कोषालय अधिकारी, जिला भोपाल म.प्र. ।
8. डॉ. राजीव जैन, चिकित्सा अधिकारी, कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल म.प्र.।
9. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

05/DD (G) (mis)

24/10/16
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Public Health & Family Welfare

अप.संचा. (प्रशा.), जा.क्र. 7333
दिनांक 26/10/16

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
<u>मंत्रालय</u>

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक /10/2016

क्रमांक / /3399/2016/सत्रह/मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. ललिता गुप्ता, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, बुरहानपुर द्वारा पारिवारिक कारण से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचारोपरांत डॉ. ललिता गुप्ता को दिनांक 01.04.2016 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
25 OCT 2016
S-798

(गिरीश कुमार नेगी)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक/3550 /3399/2016/सत्रह/मेडि–1 भोपाल, दिनांक 24/10/2016
<u>प्रतिलिपि</u> :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बुरहानपुर म.प्र. ।
7. जिला कोषालय अधिकारी, जिला बुरहानपुर म.प्र. ।
8. डॉ. ललिता गुप्ता, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, बुरहानपुर म.प्र.।
9. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

05 DD (L) (MIS)
26/10/16

24/10/16
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय

अप.संचा. (प्रशा.), जा.क्र. 7290
दिनांक 27/10/16

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक /10/2016

क्रमांक/ /3662/2016/सत्रह/मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. एस.के. बूंदीबाल, मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी, प्रा0स्वा0के0 ताजपुर जिला उज्जैन द्वारा चिकित्सकीय आधार पर स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचारोपरांत डॉ. एस.के. बूंदीबाल को दिनांक 11.08.2016 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
24 OCT 2016
आवक क्रमांक 5781

ADH
22/10/16

(गिरीश कुमार नेगी)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 कमांक/3502/3662/2016/सत्रह/मेडि–1 भोपाल, दिनांक 21/10/2016

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला उज्जैन म.प्र.।
7. जिला कोषालय अधिकारी, जिला उज्जैन म.प्र.।
8. डॉ. एस.के. बूंदीबाल, मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी, प्रा0स्वा0के0 ताजपुर जिला उज्जैन म.प्र.।
9. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

21/10/16
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

05/20(ग)/MP
25/10/16

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

12 SEP 2016
आवक क्रमांक 5458

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक /09/2016

क्रमांक/ /3275/2016/सत्रह/मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. महेश कुमार सिंघल, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र झारड़ा जिला उज्जैन द्वारा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर विचारोपरांत डॉ. महेश कुमार सिंघल को दिनांक 06.07.2016 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(गिरीश कुमार नेगी)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक/3143 /3275/2016/सत्रह/मेडि–1 भोपाल, दिनांक 12/09/2016

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला उज्जैन म.प्र.।
7. जिला कोषालय अधिकारी, जिला उज्जैन म.प्र.।
8. डॉ. महेश कुमार सिंघल, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र झारड़ा जिला उज्जैन म.प्र.।
9. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

12 SEP 2016
आवक क्रमांक 5457

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक /09/2016

क्रमांक / /2517/2016/सत्रह/मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. बी.एम.खरे, नाक,कान,गला रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय टीकमगढ़ द्वारा चिकित्सकीय आधार पर स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचारोपरांत डॉ. बी.एम. खरे को दिनांक 31.08.2016 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(गिरीश कुमार नेगी)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 कमांक / 3141 /2517/2016/सत्रह/मेडि–1 भोपाल, दिनांक 12/09/2016

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला टीकमगढ़ म.प्र.।
7. जिला कोषालय अधिकारी, जिला टीकमगढ़ म.प्र.।
8. डॉ. बी.एम.खरे, नाक,कान,गला रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय टीकमगढ़ म.प्र.।
9. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक /08/2016

क्रमांक /3136/2016/सत्रह/मेडि–1 :: डॉ. महेश शर्मा, शिशुरोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय मन्दसौर द्वारा दिनांक 21.01.2015 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान करने हेतु संचालनालय स्वास्थ्य को प्रस्तुत अभ्यावेदन को संचालनालय स्वास्थ्य के पत्र दिनांक 29.06.2015 द्वारा अमान्य किये जाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में याचिका क्रमांक 7230/2015 दायर की गई।

2/ अतः उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.10.2015 के पालन में पूर्ण विचारोपरांत डॉ. महेश शर्मा को दिनांक 21.01.2015 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

(गिरीश कुमार नेगी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक 1992/3136/2016/सत्रह/मेडि–1, भोपाल, दिनांक 22/08/2016

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।

....

3. रजिस्ट्रार/महाधिवक्ता मान0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर, म0प्र0।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मन्दसौर, म.प्र. ।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला मन्दसौर म.प्र. ।
9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला मन्दसौर, म.प्र. ।
10. संबंधित चिकित्सक..(म.प्र.) ।
11. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(हस्ताक्षर) 22/8/16
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Public Health & Family Welfare

VRS

AD | I.S.
06 AUG 2016
4074

आ. स्वा. (प्रशा.) जा.क्र. 4735
दिनांक 08/08/16

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक /08/2016

क्रमांक /2903/2016/सत्रह/मेडि–1 :: डॉ. वीणा कुमरा, स्त्री रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय शिवपुरी द्वारा दिनांक 27.10.2013 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान करने हेतु संचालनालय स्वास्थ्य को प्रस्तुत अभ्यावेदन को संचालनालय स्वास्थ्य के पत्र दिनांक 23.12.2014 द्वारा अमान्य किये जाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में याचिका कमांक 3552/2015 (एस) दायर की गई।

2/ अतः उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.02.2016 के पालन में पूर्ण विचारोपरांत डॉ. वीणा कुमरा को दिनांक 27.10.2013 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्वीकृत करता है।

(गिरीश कुमार नेगी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक 1814/2903/2016/सत्रह/मेडि–1, भोपाल, दिनांक 05/08/2016

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।

....

3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर, म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिवपुरी, म.प्र.।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला शिवपुरी म.प्र.।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला शिवपुरी, म.प्र.।
9. संबंधित चिकित्सक..(म.प्र.)।
10. विभागीय जांच पटल/स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

5/8/16
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
<u>मंत्रालय</u>

अप. संचा. (प्रशा.) जा.क्र. 3208
दिनांक 04/06/16

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक /05/2016

क्रमांक / /1965/2016/सत्रह/मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. नीता दुबे, चिकित्सा अधिकारी, श्यामाप्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय, इटारसी जिला होशंगाबाद द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर विचारोपरांत डॉ. नीता दुबे को दिनांक **31.08.2013** से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
03 JUN 2016
3584
ADJ

(उपेन्द्रनाथ शर्मा)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 कमांक/ 1240 /1965/2016/सत्रह/मेडि–1 **भोपाल, दिनांक 01/06/2016**

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला होशंगाबाद म.प्र. ।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला होशंगाबाद, म.प्र. ।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला होशंगाबाद म.प्र. ।
9. डॉ. नीता दुबे, चिकित्सा अधिकारी, श्यामाप्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय, इटारसी जिला होशंगाबाद म.प्र.।
10. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Public Health & Family Welfare

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
03 JUN 2016
3583

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

–:: संशोधन आदेश ::–

भोपाल, दिनांक /05/2016

कमांक/ /3935/2015/सत्रह/मेडि–1 :: संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 10.09.2015 द्वारा डॉ. सुरेश कुमार मजेजी, शिशुरोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय नीमच को दिनांक 23.12.2014 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की गई है।

संचालनालय स्वास्थ्य से पुनः प्राप्त प्रस्ताव अनुसार डॉ. सुरेश कुमार मजेजी, शिशुरोग विशेषज्ञ को दिनांक 01.11.2011 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अप. संचा. (प्रशा.) जा.क्र. 3201
दिनांक 04/06/16

पृ.क्रमांक/ 1237 /3935/2015/सत्रह/मेडि–1 भोपाल, दिनांक 01 /06/2016

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।

....

3. रजिस्ट्रार/महाधिवक्ता, मान0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर, म0प्र0।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
5. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. संबंधित संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
7. मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, नीमच मध्यप्रदेश।
8. जिला कोषालय अधिकारी, नीमच मध्यप्रदेश।
9. संबंधित डॉ.. म.प्र.।
10. आदेश नस्ति।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

04.6.16

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

—:: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक /03/2016

क्रमांक/ / /2016/सत्रह/मेडि—1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों/विशेषज्ञों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर में दायर न्यायालयीन प्रकरणों के पालन में कालम नं0 03 में अंकित अधिकारियों कालम नं 05 में अंकित तिथि से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

क्र.	याचिका क्रमांक	अधिकारी का नाम	जिला	स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति दिनांक
1	2	3	4	5
1.	4442/2004	डॉ. पी.एन. वर्मा	उज्जैन	26.10.2013
2.	4404/2014	डॉ. पी.एम. तेजनकर	उज्जैन	26.10.2013
3.	4441/2014	डॉ. पी.एन. कुमावत	उज्जैन	26.10.2013
4.	2442/2015	डॉ. मनोज जैन	उज्जैन	04.10.2014
5.	2651/2014	डॉ. अमिता तोमर	भोपाल	05.12.2012
6.	6549/2015	डॉ. भारत सिंह चौहान	इन्दौर	03.02.2015
7.	3466/2015	डॉ. मातादीन सिंघल	रायसेन	11.07.2013
8.	6797/2014	डॉ. प्रदीप कुमार पोरवाल	बड़वानी	01.10.2013
9.	सी 703/2105	डॉ. आशीष पाल	उज्जैन	26.10.2013
10	सी 704/2015	डॉ. राजेन्द्र बंसल	उज्जैन	26.10.2013
11.	सी 930/2015	डॉ. नगीन चन्द्र जैन	इन्दौर	31.11.2013

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ. गनी अहमद खॉन)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Public Health & Family Welfare

पृ0 कमांक/1231 /665/2016/सत्रह/मेडि–1 भोपाल, दिनांक 15/03/2016

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. रजिस्ट्रार/महाधिवक्ता, मान0 उच्च न्यायालय इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर म0प्र0।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0 ।
7. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र. ।
8. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र. ।
9. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, म.प्र. ।
10. संबंधित डॉ.. म.प्र .।
11. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Public Health & Family Welfare

VRS

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
<u>मंत्रालय</u>

<u>—:: आदेश ::—</u>

भोपाल, दिनांक /02/2016

क्रमांक/ /439/2016/सत्रह/मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. रमेश भार्गव, चिकित्सा विशेषज्ञ, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल (प्रतिनियुक्ति पर) द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर विचारोपरांत डॉ. रमेश भार्गव को दिनांक 31.05.2012 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ. गनी अहमद खॉन)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 कमांक/ 235 /439/2016/सत्रह/मेडि–1 भोपाल, दिनांक 01/02/2016

<u>प्रतिलिपि</u> :—

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग/ चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. अधीक्षक, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भोपाल म.प्र. ।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला भोपाल, म.प्र. ।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला भोपाल म.प्र. ।
9. डॉ. रमेश भार्गव, चिकित्सा विशेषज्ञ, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल (प्रतिनियुक्ति पर) म.प्र.।
10. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1/2/16
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Public Health & Family Welfare